



**परिपत्र (प्रशासन)**

सूचित किया जाता है कि प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)-सह-सम्पदा प्रबंधक के अनुमोदन से कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हिमाचल प्रदेश व कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी), हिमाचल प्रदेश, शिमला के अधिकारियों/कर्मचारियों के शिशुओं के लिए रेलवे बोर्ड भवन में शिशु गृह (creche) सुविधा उपलब्ध कराई जानी प्रस्तावित है।

It is informed that with the approval of the Pr. Accountant General (Audit)-cum-Estate Manager, **creche facility** is contemplated/proposed in the Railway Board Building for children of employees of the offices of Pr. Accountant General (Audit) and Pr. Accountant General (A&E), Himachal Pradesh, Shimla.

इस संदर्भ में, दोनों कार्यालयों के वे सभी अधिकारी/कर्मचारी, जो क्रेच सुविधा का लाभ लेना चाहते हैं, कृपया अपने शिशुओं से संबंधित जानकारी निम्नलिखित प्रारूप में **05.06.2024** तक प्रशासन अनुभाग (लेखापरीक्षा) को प्रेषित करें ताकि क्रेच हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं की जा सकें।

In this regard, all officers/officials of both the offices who wish to avail the crèche facility, may furnish the requisite information in the following format to the Administration Section (Audit) latest by **05.06.2024** so that necessary arrangements can be made for the crèche.

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम/पद	कार्यालय	शिशु का नाम	शिशुओं की संख्या	उम्र	पूर्ण दिवस (Day Care)/ स्कूलोपरांत (After School)

परिपत्र वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन) महोदय के अनुमोदनोपरांत जारी।

हस्ता/-

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रशासन)

संख्या: प्रशा0/ले0प0/कार्यालय पुनर्गठन/तैनाती एवं स्थानांतरण/2020-25/869-76

दिनांक: .....28.05.2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जाती है:

1. उप महालेखाकार (प्रशासन) कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी), हि० प्र०
2. सचिव, प्रधान महालेखाकार (ले०प०)
3. निजी सहायक, वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन एवं राज्य वित्त)
4. निजी सहायक, उप महालेखाकार (लेखापरीक्षा प्रबंधन समूह-I)
5. निजी सहायक, उप महालेखाकार (लेखापरीक्षा प्रबंधन समूह-II)
6. निजी सहायक, उप महालेखाकार (लेखापरीक्षा प्रबंधन समूह- III)
7. कल्याण अधिकारी
8. सभी अधिकारियों/कर्मचारियों ( ई-मेल द्वारा)

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रशासन)

28/05